राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : प.7( )सम्पर्क / नवी. / 2018 / 5994-6027 जयपुर, दिनांक : 12-12-2018

समस्त उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं
जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
————————— (राज0)

आपको विदित है कि राजस्थान प्रेस–प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 के तहत राज्य, संभागीय तथा जिला स्तरीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं स्वतंत्र पत्रकारों से संबंधित प्रेस प्रतिनिधियों को जारी अधिस्वीकरण कार्डो का नवीनीकरण निम्न बिन्दुओं के आधार पर प्रपत्रों की पूर्ति करवाकर विभाग को भिजवाया जाना है।

1. प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से अधिस्वीकृत पत्रकारों के अधिस्वीकरण कार्ड / डिजिटल अधिस्वीकरण कार्डो का नवीनीकरण विभाग द्वारा किया जायेगा।
2. अधिस्वीकरण के नवीनीकरण के लिए 25 दिसम्बर से पूर्व निर्धारित "परिपत्र–घ" में आवेदन करना होगा। फरवरी माह के अन्त तक नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त न होने की अवस्था में नवीनीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. नवीनीकरण के लिए समाचार पत्र का नियमित प्रकाशन होना आवश्यक है।
4. नवीनीकरण निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर ही होगा। इस संबंध में राजस्थान प्रेस–प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 के नियम 8 (अधिस्वीकरण कार्ड का नवीनीकरण) की पालना करना अनिवार्य है।
5. स्थायी अधिस्वीकरण 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2020 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। 31 दिसम्बर के पश्चात किये जाने वाले नवीनीकरण की अवधि नवीनीकरण की तिथि से मान्य होगी। अस्थायी अधिस्वीकरण नवीनीकरण की तिथि से 30 जून अथवा 31 दिसम्बर के लिए, जो भी पहले हो, मान्य होगा।
6. संवाददाताओं के कार्डों का नवीनीकरण संबंधित समाचार पत्र के सम्पादक / प्रबन्धक की अनुशंषा पर किया जावेगा।
7. अधिस्वीकरण कार्ड का नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र "परिशिष्ट–घ" की पूर्ति के साथ अधिस्वीकृत पत्रकारों को आजीविका संबंधी प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा।
8. स्वतंत्र पत्रकारों के लिए वर्तमान में वह किसी समाचार पत्र, इलेक्ट्रोनिक मीडिया अथवा एजेन्सी से सम्बद्ध नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
9. नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ डिजिटल कार्ड का आवेदन पत्र (अग्रेजी) को भी संबंधित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी अग्रेषित कर भिजवायें।

कृ.पृ.उ......

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय
नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	आवेदक का पद नाम	
4.	समाचार पत्रा/एजेन्सी/ इलैक्ट्रोनिक मीडिया का नाम/ स्वतंत्र पत्रकार	
5.	समाचार पत्र की नियतकालिता	
6.	जन्म तिथि	
7.	शैक्षणिक योग्यता	
8.	गृह जिला	
9.	अधिस्वीकरण कार्ड संख्या	
10.	प्रथम अधिस्वीकरण की तिथि	
11.	पत्रकारिता का अनुभव (वर्षो में)	
12.	पत्रकारिता के अलावा आजीविका का अन्य साधन	
13.	वाहन संख्या (यदि कोई हो तो)	
14.	टेलीफोन नम्बर	
15.	मोबाईल नम्बर	
16.	फैक्स नम्बर	
17.	ईमेल पता	
18.	स्थायी पता	
19.	पत्राचार का पता	

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
दिनांक :

नियोजनकर्ता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री -- निवासी-------------------------------- समाचार पत्रा/समाचार एजेन्सी/ इलैक्ट्रोनिक मीडिया में ---------------------------------- पद पर दिनांक ------------- से अब तक नियोजित है। इनके अधिस्वीकरण कार्ड के नवीनीकरण की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
नियोजनकर्ता

स्थान :
दिनांक :